छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 27 नवम्बर,2019 (अग्रहायण 6,1941)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –

(i) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019) तथा

(ii) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन), अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019)

पटल पर रखेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार –

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2018–2019 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018–2019 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–13/2017/32, दिनांक 27 जुलाई, 2019 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में स्टेरायड्स इंजेक्शन (शक्तिवर्धक) की अवैध बिक्री किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सौरभ सिंह,सदस्य, अचानकमार वन अभ्यारण्य (टाईगर रिजर्व) में वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(3) डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश में मधुर योजना के अंतर्गत गुड़ सप्लाई के टेंडर में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री शिशुपाल सोरी, संतराम नेताम, सदस्य, प्रदेश की शासकीय शालाओं में स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था को परिवर्तित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 67, अहिवारा के सदस्य, श्री गुरू रूद्र कुमार को नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य –

(i) जांजगीर–चांपा तथा बिलासपुर के मध्य मस्तूरी से मुलमुला के बीच लीलागर नदी पर निर्मित पुल को चौड़ा और ऊंचा करने,

(ii) जिला–जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम सोनाईडीह से मरकाडीह तक मार्ग निर्माण करने,

(iii) जिला–जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम नवगवां में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, धमतरी अंतर्गत –

(i) ग्राम कुरमातराई–कोर्रा–सिलौटी–अरकार मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने तथा

(ii) कुरूद–चर्रा–मोगरा–छाती–उड़ेना–झिरिया–कण्डेल–भोथली–बोड़रा–संबलपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

7. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में हाथियों के उत्पात से हो रही जन–धन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 26 नवम्बर, 2019